न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 145/2021(2021/443)

1. श्रीमती बदाम पत्नी रतन।
2. श्रीमती रोडी पत्नी शंकर।
3. राजू पुत्र शंकर नाबालिग।
4. मनीषा पुत्री शंकर नाबालिग।

नाबालिग वादी संख्या 3 व 4 जरिये वली व संरक्षक माती श्रीमती रोडी पत्नी शंकर जाति गुर्जर निवासीगण केसरपुरा पटवार हल्का जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र उगमा जाति गुर्जर ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. सन्तोष कुमारी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम जूनिया तहसील केकडी।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
4. श्रीमान उप पंजीयक महोदय केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री निर्मल चौधरी– वकील प्रार्थीगण
2. श्री असलम शेर खान –वकील अप्रार्थी–1

–आदेशः–

दिनांक– 10.8.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,92ए,88,188,209 राज0 टिनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 राज. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। आराजीयात वाके ग्राम केसरपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर का के खाता संख्या 361–335 कुल किता 3, खाता संख्या 29–22 के कुल किता 13, खाता संख्या नया–पुराना 216–190 के कुल किता 17, खाता संख्या नया–पुराना 1084–921 के खसरा संख्या 3201 रकबा 0.17हैक्टर व खाता संख्या नया–पुराना 265–190 के खसरा संख्या 3092 रकबा 0.26हैक्टर व खाता संख्या नया–पुराना 123–116 के कुल किता 14 रकबा 2.60हैक्टर व खाता संख्या 641–623 के कुल किता 2, कुल रकबा 0.30हैक्टर उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 स्वर्गीय श्री उगमा पुत्र कालू गुर्जर निवासी केसरपुरा के जायन्दा व विधिक वारिसान है जो काविज जायदाद है एवं उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काविज काश्त है उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी आराजीयात है उपरोक्त वर्णित आराजीयात जमाबंदी सन् 2041 में स्वर्गीय उगमा पुत्र कालू गुर्जर निवासी केसरपुरा के नाम वहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज है जिनके प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 विधिक वारिसान है उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 का बराबर–बराबर हिस्सा है उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा मौके पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काविज काश्त है । लेकिन राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण संख्या

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

1 न मिलीभगती व जाली दस्तावेज तैयार कर अवैध व गैर कानूनी तरीके से अपने नाम बढिया व अच्छी पैदावारी वाली जमीन अपने हिस्से से ज्यादा जमीन अपने नाम करवा ली जिस बाबत प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को कहा तो आश्वासन दिया कि हम उक्त आराजीयात का बंटवारा सही ढंग से करवा दूंगा लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ने इस सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही नहीं कर दिनांक 02.10.2021 से ही उपरोक्त वर्णित आराजीयात से प्रार्थीगण को जबरन बैदखल कर अन्य व्यक्ति के हस्तान्तरण करने व रहन रखने की धमकियां दे रहा है । अतः उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है ।उपरोक्त वर्णित आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 1 ने कतई गलत अवैध व गैर कानूनी तरीके से जाली दस्तावेज तैयार कर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलभगती कर राजस्व रेकार्ड मे जो अच्छी पैदावार वाली जमीन को अपने नाम करवा ली व जो बिना उपजाउ वाली जमीन प्रार्थीगण के नाम करवा दी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने हिस्से से भी ज्यादा जमीन अपने नाम करवा ली है । उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात है जिसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है जिसमे प्रार्थीगण का बई वर्ष एवं पुश्तैनी आराजीयात होने से हक अधिकार है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को अवैध व गैर कानूनी तरीके से बैचान करी है वह अवैध है जो स्वतः ही शुन्य निष्प्रभावी है । इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र घोषणा बंटवारा व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 की नियत बद है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 01.10.2021 से ही प्रार्थीगण को वाद वर्णित आराजीयात से जबरन बैदखल करने व कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करने तथा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे उपरोक्त वर्णित पैदावारी आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम होने के कारण विक्रय करने की धमकियां दे रहे है । प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है तो अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐलानिया धमकी दी कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे वर्तमान मे हमारे नाम दर्ज चली आ रही है मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते हो । वाद वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण का 1 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है जिसको मौके अनुसार तथा काबिज काश्त के अनुसार बंटवारा किया जाकर अलग.अलग नापचोप कर संभलाया जाना एवं अलग अलग कायम किया जाना अलग.अलग राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जाना आवश्यक है । तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वाद वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही जबरन बैदखल करे न ही किसी अन्य को बैचानए रहनए अन्तरणए अन्तरणए हस्तान्तरण किसी प्रकार से नहीं करे न ही प्रार्थीगण के कब्जे उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करें । तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजीयात बाबत अप्रार्थीगण के नाम अवैध व गैर कानूनी तरीके से जाली दस्तावेज तैयार कर करवाये गये इन्द्राज को प्रार्थीगण के हक अधिकारो विलोपित किया जाकर प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हो जावे तब तक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के हस्तान्तरण व रहन सम्बन्धी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें तथा न ही राजस्व रेकार्ड मे किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं करें । अतः प्रार्थना पत्र खातेदार काश्तकार की घोषणा बंटवारा व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना लाजमी आया है । अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विधिवत बंटवारा नहीं किया जाता है तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन नहीं करे तथा न ही उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे । न ही खुर्दबुर्द अन्तरण व हस्तान्तरण करे अगर अप्रार्थीगण उक्त अवैध व गैर कानूनी तरीके से जाली दस्तावेज तैयार कर राजस्व रेकार्ड मे करवाये

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

गये इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगण के हक व हिस्से की आराजीयात से जबरन बैदखल करने एवं अन्यत्र हस्तान्तरण व रहन रखने के अपने नाजायज उद्देश्य मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अजहद व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है । अतः वाद वर्णित आराजीयात बावत प्रार्थीगण को 1 ध् 2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं बंटवारा किया जाना एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है । वादीगण का केस प्राईमा फेसाई केस है व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है । अतः उक्त प्रकरण मे प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण स्वयं उनके हाली सीरी सगे सम्बन्धी उनके नोकर चाकर एजेन्ट मुख्तयार आम व खास और अधिनस्थ कर्मचारीगण इत्यादि को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से को मौके पर कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पंहुचावे तथा न ही उक्त आराजी के प्रार्थीगण के हक हिस्से को प्राकृतिक उपज नष्ट करे न ही उक्त आराजी मे किसी प्रकार के गड्ढे इत्यादि कर नष्ट भ्रष्ट नहीं करे तथा साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त आराजीयात के हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पंजीयन नहीं करे एवं न ही राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करें यानि हर प्रकार से मनमुह व बाज रखा जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण संख्या 2 कई बावजूद मौके देने पर अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार से जवाब टिप्पणी अंकित कर बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपी अनुसार दर्ज आराजी खातेदारी भूमि है राजहित प्रभावित नहीं है

अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब प्रा.पत्र निम्नानुसार है:–

प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित उपरोक्त उनवानी का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का कथन इन्कार नहीं है, किन्तु प्रार्थीगण को दावे में सफलता मिलने बाबत कथन ठोस रूप से अस्वीकार है । प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 राजस्व रिकार्ड से संबंधित होने से स्वीकार है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2041 के अनुसार वाद वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में उगमा, उदा पिता कालू गुर्जर निवासी केसरपुरा के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात थी । प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 3 में वर्णित सजरा उगमा पुत्र कालू के वारिसान का पारिवारिक सजरा है, जो कि स्वीकार है। चूंकि जमाबन्दी सं. 2041 के अनुसार वाद वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में उगमा, उदा पुत्र कालू गुर्जर की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात थी, जिसका बंटवारा पूर्व में ही दिनांक 12.02.2008 को आपसी सहमती से करवा लिया गया था एवं उसी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज, काश्त चले आ रहे है। उदा पुत्र कालू गुर्जर के वारिसान का पारिवारिक सजरा प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 3 में अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 में वर्णित कथन यहां तक स्वीकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 स्व. उगमा पुत्र कालू गुर्जर के विधिक वारिसान हैं, शेष कथन अस्वीकार है। जमाबन्दी सं. 2041 के अनुसार वाद वर्णित आराजी पर उगमा, उदा पिता कालू गुर्जर के विधिक वारिसान बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त हैं । प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 5 में कथन कतई गलत होने से अप्रार्थी सं. 1 को ठोस रूप से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपना कथन स्वयं सिद्ध करें । वाद वर्णित आराजीयात जमाबन्दी सं. 2041 में स्व. उगमा पुत्र कालू गुर्जर एवं स्व. उदा पुत्र कालू गुर्जर निवासीगण केसरपुरा के नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज है। वाद वर्णित आराजीयात जमाबन्दी सं. 2041 में उगमा पुत्र कालू व उदा पुत्र कालू का बराबर–बराबर हिस्सा है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 6 में वर्णित कथन कतई गलत, मिथ्या, मनगढंत एवं निराधार होने से अप्रार्थी सं. 1 को ठोस रूप से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपना कथन स्वयं सिद्ध करें । प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 7 में वर्णित कथन कतई गलत, मिथ्या, मनगढंत एवं निराधार होने से अप्रार्थी सं. 1

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

को ठोस रूप से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपना कथन स्वयं सिद्ध करें । प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 8 यहां तक स्वीकार है कि अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 को वाद वर्णित आराजीयात का विधिवत बंटवारा होने के पश्चात एवं अलग–अलग जमाबन्दी कायम होने के पश्चात् बेचान की है, जो कि वैध है। शेष कथन कतई गलत, मनगढ़ंत, आधारहीन व निराधार है, जो अप्रार्थी सं. 1 को ठोस रूप से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपना कथन स्वयं सिद्ध करें । प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 9 में वर्णित कथन कतई गलत, मिथ्या, मनगढ़ंत एवं निराधार होने से अप्रार्थी सं. 1 को ठोस रूप से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपना कथन स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 10 में वर्णित कथन कतई गलत, मिथ्या, मनगढ़ंत एवं निराधार होने से अप्रार्थी सं. 1 को ठोस रूप से अस्वीकार है । प्रार्थीगण अपना कथन स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 11 में वर्णित कथन कतई गलत, मिथ्या, मनगढ़ंत एवं निराधार होने से अप्रार्थी सं. 1 को ठोस रूप से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपना कथन स्वयं सिद्ध करें । प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 12 के कथन जैसे वर्णित किये गये अस्वीकार है, प्रार्थीगण का ना तो कोई प्रथम दृष्टया केस है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में शेष प्रार्थना प्रार्थीगण है, जो मय हर्जे खर्चे खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त कथन कर बताया कि वास्तविकता इस प्रकार है कि जमाबन्दी सं. 2041 के अनुसार वाद वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उगमा, उदा पिता कालू गुर्जर निवासी केसरपुरा की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात थी, वाद वर्णित आराजीयात में उगमा, उदा पिता कालू गुर्जर का समान हिस्सा था, जो कि दोनों के संयुक्त कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में चली आ रही थी । प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र सही तथ्यों को छिपाकर पेश किया है, प्रार्थना पत्र इसी बिनाह पर खारिज होने योग्य है । वाद वर्णित आराजीयात का उगमा, उदा पिता कालू गुर्जर के विधिक वारिसान द्वारा राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत सह खातेदार के मध्य आपसी सहमती के अनुसार खाता विभाजन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर उगमा पुत्र कालू गुर्जर के विधिक वारिसान ने भी सहमती बाबत् हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी की थी, जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 12.02.2008 को उगमा उदा पिता कालू गुर्जर के विधिक वारिसान के मध्य आपसी सहमती के अनुसार वाद वर्णित आराजी का विधिवत बंटवारा किया गया था, जो कि इसी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग दर्ज चली आ रही है तथा दिनांक 12.02.2008 को हुए बंटवारे के अनुसार ही उगमा, उदा पिता कालू गुर्जर के वारिसान का अलग–अलग कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र इसी बिनाह पर खारिज होने योग्य है । जमाबन्दी सं. 2041 के अनुसार वाद वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उगमा, उदा पिता कालू गुर्जर निवासी केसरपुरा की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात थी, वाद वर्णित आराजीयात में उगमा, उदा पिता कालू गुर्जर का समान हिस्सा था, जो कि दोनों के संयुक्त कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में चली आ रही थी । वाद वर्णित आराजीयात का दिनांक 12.02.2008 को उगमा, उदा पिता कालू गुर्जर के वारिसान के मध्य सक्षम अधिकारी श्रीमान तहसीलदार साहब, केकडी के समक्ष उपस्थित होकर बंटवारा करवा लिया, चूंकि वाद वर्णित आराजीयात में बंटवारे से पूर्व उदा पुत्र कालू गुर्जर का भी हक, हिस्सा निहीत है, जिनके वारिसान को वाद में फरीक पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होकर खारिजी योग्य है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2041 में वाद वर्णित आराजीयात उगमा, उदा पिता कालू गुर्जर निवासी केसरपुरा की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात थी, जिसमें उगमा पिता कालू गुर्जर का 1/2 हिस्सा एवं उदा पिता कालू गुर्जर का 1/2 हिस्सा निहीत था तत्पश्चात् जमाबन्दी सं. 2058 आधार जमाबन्दी में वाद वर्णित आराजीयात उगमा, उदा पिता कालू गुर्जर के वारिसान के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज की गई तत्पश्चात् उगमा, उदा पिता कालू गुर्जर के वारिसान द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष सह खातेदारान के मध्य आपसी सहमती से वाद वर्णित आराजीयात का बंटवारा किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 12.02.

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

2008 को सक्षम अधिकारी श्रीमान तहसीलदार साहब, केकडी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया एवं इसी आधार पर नामान्तकरण सं. 800 दिनांक 12.02.2008 से सहमती बटवारे से नामान्तकरण तस्दीक किया गया तथा इसी बंटवारे के अनुसार उगमा उदा पिता कालू गुर्जर निवासी केसरपुरा के वारिसान के नाम वाद वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग दर्ज चली आ रही है । प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को केवल मात्र हैरान व परेशान करने की नीयत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, अतः प्रार्थना पत्र इसी बिनाह पर खारिज होने योग्य है । अप्रार्थी सं. 3 व 4 राज्य सरकार की एजेन्सिया है व राज्य सरकार मालिक है, जिसके विरूद्ध दावा करने के लिए धारा 80 जाप्ता दीवानी का पालन करना आज्ञापक है। इसका पालन नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होकर खारिजी योग्य है । प्रार्थीगण को खिलाफ अप्रार्थी सं. 1 वाद प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही है एवं प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होकर खारिजी योग्य है ।

बहस मे अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बताया कि उगमा व उदा के वारिसान का सहमति से बटवारा 12.2.2008 को श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी के समक्ष उपस्थित होकर बटवारा करवा लिया गया है। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया। प्रकरण मे उगमा व उदा के वारिसान का बटवारा आपसी सहमति से पूर्व में ही दिनाक 12.2.2008 को हो चुका है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित हो रहे है विधिसम्मत नही कहा जा सकता है। प्रार्थिगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन भी नही पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निर्धारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner